भारत सरकार गृह मंत्रालय राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 364 दिनांक 16.09.2020/25 भाद्रपद्,1942 (शक) को उत्तर के लिए

अनुसूचित भाषाओं को राजभाषा के रूप में शामिल किए जाने का प्रस्ताव

364 श्री वाइको:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि:

- (क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार सरकार अपनी अधिकारिक भाषाओं में हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा अन्य अनुसूचित भाषाओं को शामिल करने के लिए राजभाषा अधिनियम में संशोधन करने का कोई विचार रखती है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो किस प्रकार से दक्षिण और उत्तर-पूर्व के, विशेष रूप से ग्रामीण व्यक्ति सरकार द्वारा प्रकाशित पत्राचार, नियमों और विनियमों को समझ सकेंगे?

उत्तर ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

- (क) एवं (ख): जी नहीं।
- (ग): राजभाषा संकल्प, 1968 के बिंदु संख्या 3 में त्रिभाषा सूत्र (हिंदी, अंग्रेजी एवं प्रादेशिक भाषा) की व्यवस्था है जो राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए हैं। केन्द्र सरकार के कार्यालयों जो कि अहिंदीतर भाषी क्षेत्रों में स्थित हैं आम जनता की जानकारी के लिए प्रदर्शित नाम पट्टों/सूचना पट्टों में, भाषा के प्रयोग का क्रम (1) क्षेत्रीय भाषा, (2) हिंदी, (3) अंग्रेजी है।

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RAJYA SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 364

TO BE ANSWERED ON THE 16TH SEPTEMBER, 2020/ BHADRAPADA 25, 1942 (SAKA)
PROPOSAL TO INCLUDE SCHEDULED LANGUAGES AS OFFICIAL LANGUAGE
364. SHRI VAIKO, MP

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether Government has any proposal to amend Official Languages Act to include Scheduled languages other than Hindi and English as its official languages, as suggested by the Supreme Court;
- (b) if so, the details thereof; and
- (c) if not, how the people in the South and the Northeast, especially villagers could understand the communications, rules and regulations published by Government?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NITYANAND RAI)

- (a) and (b) : No Sir.
- (c): There is provision of three language formulae (Hindi, English and Regional Language) as per point no. 3 of Official Language Resolution, 1968 which have been prepared in consultation with the State Governments. The order of usage of languages in the name-boards/notice-boards to be displayed for the information of the public by Central Government Offices which are located in non-Hindi speaking areas is to be in the order of (1) Regional Language, (2) Hindi, (3) English.
